महत्वपूर्ण

संख्या-4/2020/090/18-2-2020-30(9)/2015

प्रेषक

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 13 फरवरी, 2020

विषयः-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11793/10-पीएमईजीपी/प्रगति/2019-20, दिनांक 03 फरवरी, 2020 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये योजनान्तर्गत लाभार्थियों को दिनांक 31-3-2020 तक उद्यमिता विकास प्रशिक्षण से इस शर्त के साथ छूट प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम त्रैमासान्त (दिनांक 30-6-2020) तक अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

भवदीय
नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0।
3. समस्त अपर/संयुक्त/उपायुक्त उद्योग/परिक्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार
विशेष सचिव।

http://upsandesh.nic.upin